Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2581- 6306

बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 संदीप कुमार
असि0 प्रोफेसर, समाजशास्त्र,
इं0 सि0 स्व0 सं0से0 राजकीय महाविद्यालय, पचवस
बस्ती, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश– कानून को इस युक्तियुक्त आधार वाक्य पर बनाया गया था कि, क्योंकि निर्धनता के मूल कारण को रातोंरात मिटाया नहीं जा सकता तो (उसका व्यवहारिक उपागम यह है कि, 'बाल श्रम' के व्यवसाय का नियंत्रित कर दिया जाए। इसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संगठित खण्ड के चुनिन्दा क्षेत्रों में नौकर रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई और उसके साथ–साथ उनकी 'शिक्षा' एवं 'मनोरंजन' की सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया।

मुख्यशब्द– कानून,बाल, श्रम, प्रतिषेध, अधिनियम, आधार, व्यवसाय, निर्धनता, श्रमिक, कल्याण।

बाल नियोजन अधिनियम–1938' में 'बाला – श्रमिकों' के कल्याण के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था (उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका। उक्त अधिनियम कों 1986 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 'बाल श्रम (प्रतिषेध एवंविनियमन) अधिनियम–1986' पारित किया गया जिसका उद्देश्य यह रखा गया कि, कुछ उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति स्वीकार करते हुए, उनमें 'श्रमिकों' की दशाओं को व्यवस्थित एवं नियमन कर दी जाय। क्योंकि अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, इस अधिनियम के अन्तर्गत जो भी नियमावली बनायी गयी है वे 'कारखाना अधिनियम–1948' एवं 'बाजार श्रम अधिनियम–1952' के अतिरिक्त हैं। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्लिखित है–

1. यह अधिनियम प्रशिक्षण केन्द्र तथा ऐसे उद्योगों पर लागू नहीं होता जिसे एक ही परिवार के सदस्य मिलकर चला रहे हैं।
2. इस अधिनियम के अन्तर्गत एक 'श्रम तकनीकी सलाहकार समिति' कीस्थापना की व्यवस्था की गयी है जिनका उद्देश्य इस अधिनियम की सूची में न दिये गये हो। परन्तु इसके लिए राज्य सरकार जनसाधारण को कम से कम तीन माह पूर्व नोटिस अवश्य देगी।

3. 14 वर्ष से कम उम्र का श्रमिक 'बाल–श्रमिक' कहलायेगा।

4. इस अधिनियम के अनुसार किसी भी 'बाल–श्रमिक' से प्रतिदिन 6 घण्टे से ज्यादा काम नही लिया जा सकता और इस कार्य अवधि में भी प्रथम 3 घण्टे के पश्चात् एक घण्टे का मध्यान्तर होगा और सप्ताह में एक दिन का अवकाश रखा जायेगा।

5. किसी भी 'बाल–श्रमिक' से शाम को 7 बजे के पश्चात् एवं प्रातः 8:00 बजे से पूर्व कार्य नहीं लिया जा सकता, और न ही किसी 'बाल–श्रमिक' से ओवर–टाईम कराया जा सकता है। 'राज्य सरकार' को 'बाल–श्रमिकों' के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

6. इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लेघन करने की दशा में 3 माह से एक वर्ष तक की सजा एवं 20,000 हजार रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के खण्ड ख में जो अनुसूची दी गयी है उसमें भवन निर्माण से संबधित उद्योग को भी जोड़ दिया गया है।

7. अधिनियम की धारा–3 के अनुसार निम्नलिखित पेशे में 'बाल–श्रमिक' को नियोजत नही किया जा सकेगा–

- यात्री तथा सामान का परिवहन तथा रेलवे मेल।
- रेलवे परिसर के अन्तर्गत राख की भराई, सफाई एवं भवन निर्माण कार्य।
- रेलवे स्टेशन पर किसी जलपान गृह में नियोजन जिसके अन्तर्गत 'वेन्डर कर्मचारी' तथा प्रतिष्ठा के कर्मचारी द्वारा विक्रय के लिए एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना–जाना हो।
- रेलवे स्टेशन पर बनाये जाने से सम्बंधित कार्य या कोई ऐसा कार्य जो लाईन के बीच में किया जा रहा हो, किसी पोर्ट की सीमा में किसी पोर्ट प्राधिकारी के अन्तर्गत कोई कार्य।

अधिनियम की धारा–3 के अनुसुसार किसी ऐसे कार्यशाला में ं 'बाल–श्रमिक' को नहीं लगाया जा सकता जहाँ निम्न कार्य हो रहा हो

1. बीड़ी बनाया जाना।
2. दरी की बुनाई।
3. सीमेण्ट का निर्माण तथा उसे बोरे में भरा जाना।
4. कपड़े की छपाई, धुलाई एवं बुनाई।
5. माचिस का निर्माण या अन्य कोइ बारूद का कार्य।
6. अभ्रक की कटाई एवं उसकी कुटाई।
7. लाख का निर्माण।
8. साबुन का निर्माण

9. चर्मकारी।

10. लकड़ी की सफाई।

11. भवन एवं निर्माण उद्योग।

धारा–3 अधिनियम की अनुसूची भाग 'ए' व 'बी' में उल्लिखित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन 'वर्जित' है। जबकि अनुसूची के भाग 'ए' व 'बी' के अतिरिक्त नियोजनों में उनकी कार्यदशाओं को विनियमित करता है। भारत सरकारकी अद्यतन, अधिसूचना के अनुसार 'ए' में अब 13 व्यवसाय तथा अनुसूची 'बी' में कुल 57 प्रक्रियाओं में 'बाल श्रम' का उपयोग 'वर्जित' है। जबकि 'बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम–1986' (1986 का 6) की अनुसूची में आगे संशोधन करने में सम्बन्धित प्रस्ताव के प्रारूप को 'बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम–1986' (1986 का 61) की धारा–4 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र आसाधारण, भाग 1 खण्उ–3– उपखण्ड–1 में दिनांक 10 जुलाई, 2006 को भारत सरकार के 'श्रम और रोज़गार मंत्रालय' की दिनांक 10 जूलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1029 (अ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था। जिसमें उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है से उक्त अधिसूचना से संबधित सरकारी राजपत्र की प्रतियां आम जनता का उपलब्ध करवाये जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे। और जबकि उक्त राजपत्र आम जनता को 10 जुलाई 2006 को उपलब्ध

करवा दिया गया थ। और जबकि उक्त अधिसूचना के संबध में आम जनता को तीन माह की
उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ अथवा सूझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब 'बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम–1986' (1986 का 61) की धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, 'केन्द्रीय सरकार', 'बाल श्रम' तकनीकी सलाहकार समीति की सिफारिशों पर एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, तथा निर्देश देती है कि, वे 'सरकारी राजपत्र' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आयेंगे।

संशोधन

'बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम–1986' (1986 का 61) की
अनुसूची में भाग–क में व्यवसाय शीर्षक के अंतर्गत–
पद (13) के पश्चात् तथा उससे संबधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित
मदें तथा प्रविष्टि जोड़ी जायेगी अर्थात
पद (14) घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में नियोजन
पद (15) ढ़ाबों और सड़कों के किनारे खान–पान के ठिकानों, रेस्त्रांओं,
होटलों, मोटलों, स्पा तथा अन्य मनोरंजन केन्द्रों में बच्चों का नियोजन।[27]

दण्ड : धारा–3 के उल्लंघन हेतू न्यूनतम 3 मास का कारावास अधिकतम् 1 वर्ष का कारावास या/और न्यूनतम् 10,000/– रूपये व अधिकतम् 20,000/– रूपये का जुर्माना।

1. उल्लघंन की पुनरावृत्ति पर यह दण्ड न्यूनतम् 6 माह का कारावास, अधिकतम् 2 वर्ष का कारावास।

2. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लघन पर एक मास तक की सजा या और 1000/– रूपये तक जुर्माना।

विशेष :

1. बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम–1986 के अन्तर्गत श्रम विभाग में तैनात 'श्रम प्रवर्तन अधिकारी', 'सहाय/उपनिदेशक कारखाना', 'सहायक/उप/अपर श्रम आयुक्त', 'निरीक्षक' घोषित हैं। उक्त के अतिरिक्त समस्त 'परगना मजिस्ट्रेट' 'समस्त तहसीलदार', 'नायब तहसीलदार', समस्त 'खण्ड विकास अधिकारी', समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी' तथा समस्त 'सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी' भी उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर 'निरीक्षक' घोषित हैं।

2. उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 1997 के अनुसार, जिलाधिकारी (कलेक्टर) द्वारा गठित 'टोली' के सदस्यों को 'निरीक्षक' के अधिकार प्रदत्त हैं।

3. 'बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम–1986' की धारा–16 (1 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या इंस्पेक्टर सक्षम न्यायालय में मुख्य न्यायिक मलिस्ट्रेट न्यायालय परिवाद दायर कर सकता हैं बशर्ते उसके पास समुचित साक्ष्य होने चाहिए। महत्वपूर्ण : सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय 10.12. 1996 रिट 465/86–एम0सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य

निर्णय/व्यवस्थायें

1. वर्जित व्यवसायों/ प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्व) अभियोजन की कार्यवाही।

2. ऐसे नियोजकों से प्रति 'बाल–श्रमिक' रूपये 20,000 की दर से क्षतिपूर्ण की धनराशि वसूल कर 'बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण निधि' में जमा कराना।

3. ऐसे 'बाल–श्रमिकों' को, विद्यालयों में प्रवेश कराना तथा निधि से अर्जित ब्याज दिया जाना।

4. ऐसे 'बाल–श्रमिकों' के परिवारों को रोज़गारपरक योजना से जोड़ना/लाभान्वित करना।

5. गैर वर्जित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के सम्बन्ध में कार्य के घण्टे 4–5 सीमित करना उनकी 2 से 4 घण्टे की शैक्षिक व्यवस्था व शिक्षा व्यय का वहन नियोजक द्वारा करना। इस प्रकार अधिनियम द्वारा 'बाल–श्रमिकों' की सुरक्षा एवं उनके जीवन के सुधार कर बेहतर बनाने के लिए बड़े ही सजगता से इस अधिनियम के रूप में उपाय किये गये है। 'बाल श्रम (निषेध और नियमन) कानून–1986' ख्बीपसक संइवनत (च्तवीपइपजपवद ंदक त्महनसंजपवद ।बजए 1986), बनाने के बाद यह आशा जाग्रत हुई कि,

'बाल–श्रमिकों' के हालात व भाग्य सुधरेगें परन्तु इसने 'राज्य सरकारों' या 'केन्द्र सरकार' को सीमित रूप से भी किसी प्रकार का 'उद्देश्योन्मुखी' कार्य करने के लिए प्रेरित नही किया। इस उदासीनता को 'श्रम मंत्रालय' द्वारा अगस्त, 1987 में घोषित कार्य योजना का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम करता है, जबकि इस कार्य योजना को 'श्रम मंत्रालय' ने 'बाल श्रम की राष्ट्रीय नीति' का एक अत्यावश्यक अंग माना था। इस कानून को लागू करने के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत दस परियोजना बनायी गई थी जिनमें फिरोज़ाबाद का 'काँच उद्यम' और शिवाकाशी का 'माचिस' बनाने का उद्यम जैसे अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में कल्याण के निवेशों को उपलब्ध कराना था। उनमें से केवल एक प्रायोगिक आधार पर आरम्भ किया गया है। यह मानते हुए कि, 'माचिस उद्योग' में ही यह अकेली परियोजना जारी है जिसे कार्य योजना से जोड़ दिया गया है, यह कहना उपयुक्त होगा कि इस नीति की घोषणा ने 'राज्य' और 'केन्द्र' सरकार के उत्तरदायित्व को प्रस्तुत करने से अधिक, कोई उपलब्धि प्राप् नही की है। यदि इस 'पायलट परियोजना', जो लगभग 1.75 करोड़ के 'बाल श्रम के केवल 30,000 को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई थी, का यह भाग्य है तो इस कानून के अन्तर्गत शेष आने वाले 'बाल–श्रमिकों' का भाग्य 'असंगठित क्षेत्र' में 'अल्प वेतन पर परिश्रम कर रहे संख्या में, इनसे कहीं अधिक 'श्रमिकों' के भाग्य से कोई अधिक अच्छा नहीं होगा। उपरी तौर से इस कार्य योजना के बनाने के पीछे यह विचार था कि, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ 'बाल श्रम' प्रचालित है, नये कानून और दूसरे कानूनों के संबधित प्रावधनों को जो बच्चों को प्रभवित करते हैं, कार्यान्वित करके एक शुरूआत की जाए। अब इन परियोजनाओं की असफलता से ऐसा लगता है कि, 'निर्धनता–विरोधी' कार्यक्रमों को समाज के उन खण्डों तक ले जाना, जहाँ से अधिकांश 'बाल–श्रमिकों' आते हैं की, योजना भी सफल नहीं हो पायेगी।

इन सीमा तक कानून का बनना अप्रभावी हो सकता है कि, वह उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाया जो बढ़ती हुई ग्रामीण दरिद्रता और शहरी क्षेत्रों में जीवन संघर्ष करनें के कारण कमाई करनें के लिए बाध्य होते हैं। कानून को इस युक्तियुक्त आधार वाक्य पर बनाया गया था कि, क्योंकि निर्धनता के मूल कारण को रातोंरात मिटाया नहीं जा सकता तो (उसका व्यवहारिक उपागम यह है कि, 'बाल श्रम' के व्यवसाय का नियंत्रित कर दिया जाए। इसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संगठित खण्ड के चुनिन्दा क्षेत्रों में नौकर रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई और उसके साथ–साथ उनकी 'शिक्षा' एवं 'मनोरंजन' की सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया, परन्तु इस कानून में एक बड़ी कमी 'प्रवर्तन मशीनरी' से सम्बधित थी जिसकी ढ़िलाई के कारण 'बाल–श्रमिकों के नियोक्ता तथा दुकान मालिकों ने कानून के प्रवाधानों का निडर होकर अवहेलना की। यद्यपि नये कानून के उल्लंघन के लिए सजा को और अधिक सख्त का दिया गया है, फिर भी बच्चों द्वारा मुहैया काराया गया सस्ता, नमनशील एवं 'अपरिवादी श्रमिक' वर्ण इस प्रथा को जारी रखने में निहित स्वार्थ को उत्पन्न करता है।

सन्दर्भः

1.मुकर्जी, रविन्द्र नाथ, 2005 'सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी', विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली।

2.सिंह निशांत, 2006 'सामाजिक न्याय और सतत् विकास', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

3.अर्चना श्रीवास्तव, 'मानवता के नाम पर कलंक' योजना मई, 2008।

4.अखिलेश आर्येन्दु, 'बालश्रमिकों की स्थिति, समस्या एवं समाधान', कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली।